भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3738
दिनांक 25 मार्च, 2026 / 04 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

लिंग-संवेदी जेल अवसंरचना का अभाव

3738. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एक-तिहाई से भी कम जेलों में शिशुगृह, प्रशिक्षित महिला कर्मचारी और लिंग-संवेदी पुनर्वास कार्यक्रमों सहित महिलाओं के लिए विशिष्ट कार्यात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार ने महिला कैदियों के लिए बच्चों की देखभाल, कानूनी सहायता, मानसिक स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाओं में कमियों का संज्ञान लिया है;

(ग) महिला कैदियों, विशेष रुप से माताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जेल की अवसंरचना और कर्मचारियों के उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो लिंग-संवेदी सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय काफी हद तक दंडात्मक अभिरक्षा ढांचे को जारी रखने के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे उपलब्ध कराए गए कारागार संबंधी आंकड़ों का संकलन करता है और उन्हें अपनी वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। इस संबंध में विशिष्ट जानकारी केंद्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ): "कारागार/उनमें निरुद्ध व्यक्ति" संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। अतः कारागारों तथा कैदियों का प्रशासन एवं प्रबंधन, जिसमें महिला कैदी भी शामिल हैं, पूर्णतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए, महिला कैदियों के लिए

बाल देखभाल, विधिक सहायता, मानसिक स्वास्थ्य एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं आदि में किसी भी कमी का संज्ञान लेना तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कारागार अवसंरचना एवं कार्मिकों के उन्नयन के लिए आवश्यक कदम उठाना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी है।

तथापि, गृह मंत्रालय ने प्रभावी कारागार प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016 के माध्यम से विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए हैं और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया है। मैनुअल में "महिला कैदियों" पर एक पृथक अध्याय है, जिसमें महिला कैदियों और उनके बच्चों के लिए बाल देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल तथा अन्य संबंधित कल्याण उपायों पर मार्गदर्शन दिया गया है। मैनुअल में यह भी प्रावधान है कि सभी को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जरूरतमंद कैदियों को समय पर विधिक सहायता सेवाएं प्रदान की जाएं तथा महिला कैदियों की प्रक्रियात्मक एवं विधिक समस्याओं में सहायता के लिए जिला विधिक सेवा समिति की महिला सदस्यों की सहायता उपलब्ध कराई जाए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा जेलों में विधिक सेवा क्लीनिक भी स्थापित किए गए हैं जो जरूरतमंद व्यक्तियों, जिनमें बच्चों सहित महिला कैदियों भी शामिल हैं, को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं।

मैनुअल में यह भी मार्गदर्शन दिया गया है कि महिला कैदियों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं और महिलाओं के मानवाधिकारों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें उन स्थितियों और मामलों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए जिनमें महिला कैदी विशेष रूप से परेशानी महसूस कर सकती हैं ताकि उन्हें उचित सहायता प्रदान की जा सके। मैनुअल में यह भी मार्गदर्शन दिया गया है कि महिला कैदियों की विशेष आवश्यकताओं से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं, जैसे कि पृथक्करण, सुरक्षा, गर्भावस्था, प्रसव, पारिवारिक देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास आदि, उन्हें उपलब्ध कराई की जानी चाहिए।

चूंकि 'कारागार' राज्य सूची का विषय है, बेहतर कारागार प्रशासन तथा महिला कैदियों के कल्याण हेतु उपलब्ध कराए गए दिशानिर्देशों का प्रभावी उपयोग करना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी है।

*****